OPEN ACCESS

Ind. Jr. of Mod. Res. and Rev *PEER-REVIEWED JOURNAL* *Volume 4 Issue 3 [Mar] Year 2026*

Indian Journal of
Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Research Article

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी: वास्तविक सशक्तिकरण बनाम 'सरपंच पति' की अवधारणा का समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. विनय कुमार सिन्हा

असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, राजेन्द्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा, बिहार भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार, भारत

Corresponding Author: * डॉ. विनय कुमार सिन्हा

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.19111035

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र भारतीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के ढांचे में महिलाओं की स्थिति और उनकी वास्तविक भूमिका का एक गहन समाजशास्त्रीय विश्लेषण करता है। भारतीय संविधान के *73*वें संशोधन ने ग्रामीण स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर उन्हें सत्ता की मुख्यधारा से जोड़ने का ऐतिहासिक प्रयास किया है। हालांकि, धरातल पर यह सशक्तिकरण अक्सर सरपंच पति' जैसी अनौपचारिक अवधारणाओं के कारण बाधित होता पाया गया है।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य उन सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों की पहचान करना है, जो निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को स्वतंत्र निर्णय लेने से रोकते हैं। शोध की कार्यप्रणाली मुख्य रूप से गुणात्मक है, जिसमें प्राथमिक डेटा के रूप में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के साक्षात्कार और द्वितीयक स्रोतों के रूप में सरकारी रिपोर्टों का उपयोग किया गया है।

निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि शिक्षा का अभाव, पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना और घरेलू उत्तरदायित्वों का बोझ महिलाओं को नाममात्र का प्रमुख' *(Proxy Candidate)* बना देता है, जहाँ वास्तविक प्रशासनिक और राजनैतिक शक्ति उनके परिवार के पुरुष सदस्यों (पति, पिता या पुत्र) के पास रहती है। अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि राजनीतिक आरक्षण केवल एक वैधानिक उपकरण है; वास्तविक सशक्तिकरण के लिए सामाजिक मानसिकता में परिवर्तन और संस्थागत सहयोग अनिवार्य है। जब तक सरपंच पति' जैसी व्यवस्था का सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा, तब तक महिलाओं की भागीदारी प्रतीकात्मक' ही बनी रहेगी।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2584-184X
- **Received:** 03-01-2026
- **Accepted:** 27-02-2026
- **Published:** 19-03-2026
- **MRR:**4(3); 2026: 257-265
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

डॉ. विनय कुमार सिन्हा. पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी: वास्तविक सशक्तिकरण बनाम 'सरपंच पति' की अवधारणा का समाजशास्त्रीय अध्ययन. इंडियन जर्नल ऑफ मॉडर्न रिसर्च रिव्यू. 2026;4(3):257-265.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

मुख्य शब्द: पंचायती राज, महिला सशक्तिकरण, सरपंच पति, पितृसत्ता, राजनीतिक भागीदारी, ७३वां संविधान संशोधन, ग्रामीण समाजशास्त्र।

© 2026 डॉ. विनय कुमार सिन्हा. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

1. प्रस्तावना

भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 एक युगांतकारी घटना मानी जाती है। इसने न केवल पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, बल्कि सत्ता के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में हाशिए पर खड़े समूहों, विशेषकर महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया के केंद्र में ला खड़ा किया (**मजूमदार, 2001**)। इस संशोधन की धारा 243(D) के अंतर्गत महिलाओं के लिए एक-तिहाई (33%) सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया, जिसे वर्तमान में भारत के 20 से अधिक राज्यों ने बढ़ाकर 50% कर दिया है (**मंत्रालय, पंचायती राज, 2023**)।

यह सुधार केवल प्रशासनिक पुनर्गठन नहीं था, बल्कि एक 'मूक क्रांति' (Silent Revolution) थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण शक्ति संरचना (Power Structure) को परिवर्तित करना था (**मैथ्यू, 2003**)। **जेम्स मैनर (1999)** के अनुसार, स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी ने राजनीति के पुरुष-प्रधान चरित्र को चुनौती दी है और विकास के एजेंडे में पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों को प्राथमिकता दिलाई है।

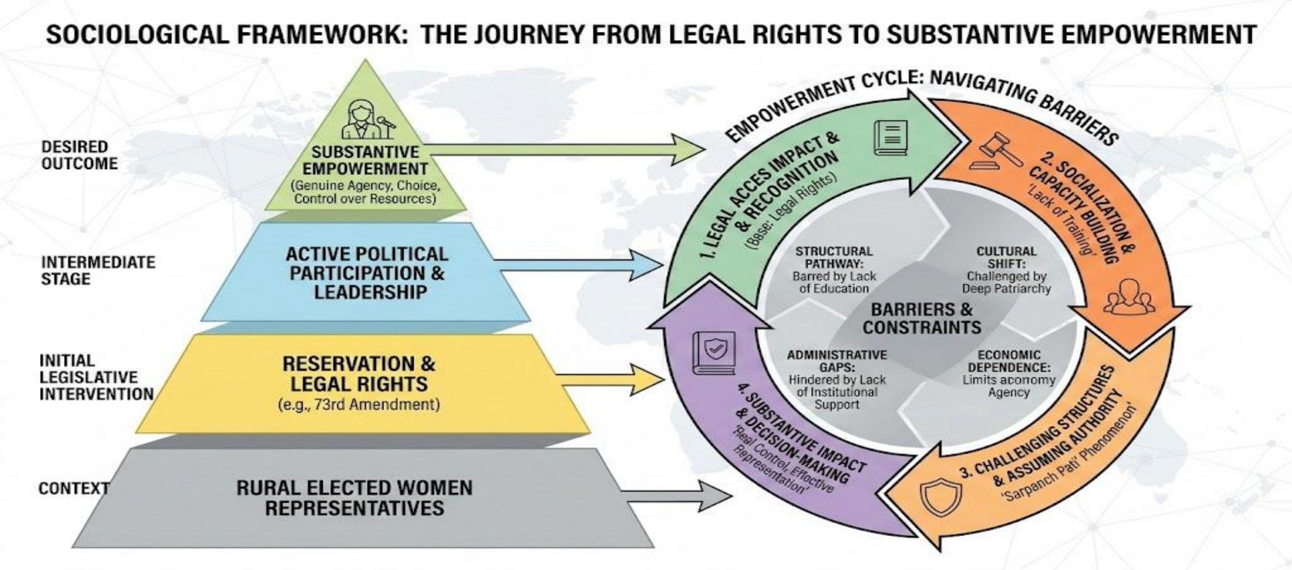

इस चित्र में 'कानूनी अधिकारों' से 'वास्तविक सशक्तिकरण' तक की यात्रा को एक समाजशास्त्रीय ढांचे (Sociological Framework) के माध्यम से समझाया गया है। यह मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है: बायीं ओर का पदानुक्रमित पिरामिड और दायीं ओर का सशक्तिकरण चक्र।

विस्तृत व्याख्या

1. सशक्तिकरण का पिरामिड (Empowerment Pyramid)

यह पिरामिड सशक्तिकरण के चरणों को दर्शाता है:

- आधार (Context): ग्रामीण निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (Rural Elected Women Representatives)। यह वह शुरुआती बिंदु है जहाँ महिलाएं चुनावी प्रक्रिया में शामिल होती हैं।
- विधायी हस्तक्षेप (Legislative Intervention): आरक्षण और कानूनी अधिकार (जैसे 73वां संशोधन)। यह सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है जो अवसर प्रदान करती है।
- मध्यवर्ती चरण (Intermediate Stage): सक्रिय राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व। यहाँ महिला केवल निर्वाचित नहीं होती, बल्कि सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू करती है।
- शीर्ष परिणाम (Desired Outcome): वास्तविक सशक्तिकरण (Substantive Empowerment)। इसका अर्थ है स्वयं की निर्णय क्षमता (Agency), अपनी पसंद और संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण।

2. सशक्तिकरण चक्र और बाधाएं (Empowerment Cycle & Barriers)

पिरामिड के दायीं ओर का चक्र यह दिखाता है कि इस यात्रा में महिलाओं को किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है:

- बाधाएं (Barriers & Constraints): चक्र के केंद्र में स्थित बाधाएं विकास को रोकती हैं:
  - संरचनात्मक मार्ग: शिक्षा का अभाव।
  - सांस्कृतिक बदलाव: गहरी पितृसत्ता (Deep Patriarchy) द्वारा चुनौती।
  - प्रशासनिक रिक्तियां: संस्थागत सहयोग की कमी।
  - आर्थिक निर्भरता: वित्तीय स्वायत्तता का न होना।

चक्र के चार मुख्य पड़ाव

1. कानूनी पहुँच और मान्यता: कानूनी अधिकारों को आधार बनाना।
2. क्षमता निर्माण: प्रशिक्षण की कमी को दूर करना।
3. संरचनाओं को चुनौती देना: यहाँ 'सरपंच पति' जैसी अवधारणाओं को चुनौती देकर अपनी सत्ता (Authority) को वास्तव में ग्रहण करना शामिल है।
4. निर्णय प्रक्रिया में प्रभाव: अंततः वास्तविक नियंत्रण और प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।

© 2026 डॉ. विनय कुमार सिन्हा. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

यह डायग्राम स्पष्ट करता है कि केवल आरक्षण (कानूनी अधिकार) दे देने से सशक्तिकरण नहीं होता। जब तक चक्र के बीच में मौजूद सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक बाधाओं को पार नहीं किया जाता, तब तक महिला पिरामिड के शीर्ष (वास्तविक सशक्तिकरण) तक नहीं पहुँच सकती।

सैद्धांतिक पृष्ठभूमि: महिला सशक्तिकरण की परिभाषा और समाजशास्त्रीय आयाम

समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में, महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल पदों की प्राप्ति नहीं, बल्कि एजेंसी और स्वायत्तता का विकास है। **कबीर (1999)** के अनुसार, सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वे लोग, जिन्हें रणनीतिक जीवन विकल्प चुनने की क्षमता से वंचित किया गया था, वह क्षमता प्राप्त करते हैं।

समाजशास्त्रीय आयामों में सशक्तिकरण के तीन मुख्य स्तर देखे जा सकते हैं:

- **व्यक्तिगत स्तर:** आत्मविश्वास और चेतना का विकास।
- **सामूहिक स्तर:** स्वयं सहायता समूहों और राजनीतिक लामबंदी के माध्यम से शक्ति का एकत्रीकरण।
- **संस्थागत स्तर:** नीति निर्धारण और विधायी निकायों में सक्रिय भागीदारी। **यंग (1993)** का तर्क है कि जब तक महिलाओं की 'रणनीतिक लैंगिक जरूरतों' (Strategic Gender Needs) को संबोधित नहीं किया जाता, तब तक केवल 'व्यावहारिक जरूरतों' की पूर्ति उन्हें वास्तव में सशक्त नहीं बना सकती।
-

समस्या का कथन: वास्तविक सशक्तिकरण बनाम सांकेतिकता (Tokenism)

शोध की मुख्य समस्या यह है कि क्या औपचारिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व वास्तव में सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में परिणत हुआ है? अध्ययन दर्शाते हैं कि कई मामलों में महिलाओं की भागीदारी केवल 'सांकेतिक' (Tokenism) बनकर रह गई है। **हन्ना पिटकिन (1967)** के 'प्रतिनिधित्व के सिद्धांत' के अनुसार, 'वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व' (Descriptive Representation) तब तक अर्थहीन है जब तक वह 'ठोस प्रतिनिधित्व' (Substantive Representation) में न बदले।

ग्रामीण भारत में आज भी जातिगत पदानुक्रम और पितृसत्तात्मक मूल्य इतने गहरे हैं कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अक्सर केवल हस्ताक्षरकर्ता (Signatories) की भूमिका तक सीमित रह जाती हैं (**पंडा, 2008**)। यह विसंगति विकास के उस दावे पर प्रश्नचिह्न लगाती है जो दावा करता है कि आरक्षण से लैंगिक समानता स्वतः आ जाएगी।

'सरपंच पति' की अवधारणा: सत्ता का अनौपचारिक हस्तांतरण

'सरपंच पति' या 'प्रधान पति' की अवधारणा भारतीय ग्रामीण राजनीति का वह अघोषित सत्य है जहाँ निर्वाचित महिला प्रतिनिधि की राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग वास्तव में उसका पति या परिवार का अन्य पुरुष सदस्य करता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह 'पितृसत्तात्मक सौदेबाजी' का परिणाम है (**कंडियोटी, 1988**) ।

इसके प्रमुख सामाजिक कारण निम्नलिखित हैं:

1. **सार्वजनिक-निजी विभाजन:** समाजशास्त्रीय धारणा कि 'बाहरी दुनिया' (Public Sphere) पुरुषों के लिए है और 'घर' (Private Sphere) महिलाओं के लिए।
2. **प्रशासनिक अनदेखी:** सरकारी अधिकारियों द्वारा महिला सरपंच के बजाय उसके पति से संवाद करने की प्रवृत्ति (**मोहंती, 2002**)।
3. **सूचना का अभाव:** जटिल कानूनी और वित्तीय प्रक्रियाओं की जानकारी न होना।
4. **सामाजिक कलंक:** एक महिला का सार्वजनिक मंचों पर मुखर होना अक्सर ग्रामीण समाज में मर्यादा के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है।

जैसा कि बुर्जुआ (Bourdieu) के 'हैबिटस' (Habitus) सिद्धांत से समझा जा सकता है, यह सत्ता संरचना महिलाओं को गौण भूमिका स्वीकार करने के लिए सामाजिक रूप से अनुकूलित कर देती है।

2. साहित्य की समीक्षा

पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण के अंतर्संबंधों पर समाजशास्त्रियों और राजनीति विज्ञानियों ने व्यापक विमर्श किया है। इस समीक्षा को तीन मुख्य वैचारिक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

विधायी सुधार और प्रारंभिक उत्साह

प्रारंभिक अध्ययनों में 73वें संशोधन को एक क्रांतिकारी कदम माना गया। **जी. मैथ्यू (1994)** ने तर्क दिया कि स्थानीय स्वशासन में महिलाओं का प्रवेश केवल संख्यात्मक वृद्धि नहीं, बल्कि ग्रामीण शक्ति संरचना के लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया है। इसी प्रकार, **मजूमदार (2001)** का मानना है कि आरक्षण ने उन महिलाओं को भी राजनीतिक मंच प्रदान किया है जो सदियों से 'अदृश्य' (Invisible) थीं। **दत्ता (1998)** ने अपने अध्ययन में पाया कि महिलाओं की भागीदारी से विकास के एजेंडे में संवेदनशीलता बढ़ी है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जो सीधे तौर पर परिवार और समुदाय से जुड़े हैं।

'सरपंच पति' और पितृसत्तात्मक अवरोध

जैसे-जैसे आरक्षण लागू हुआ, धरातल पर बाधाएं भी स्पष्ट होने लगीं। **एस. पंडा (1996)** ने ओडिशा के संदर्भ में अपने शोध में स्पष्ट किया कि औपचारिक सत्ता मिलने के बावजूद, सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएं महिलाओं को 'प्रभावी निर्णय' लेने से रोकती हैं। यहीं से 'सरपंच पति' या 'प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व' (Proxy Representation) की अवधारणा उभरी।

स्टेफनी टेवेनॉट (2003) ने अपने विश्लेषण में बताया कि ग्रामीण भारत में राजनीति को आज भी 'पुरुषों का खेल' माना जाता है, जहाँ महिला सरपंच के पति या ससुर पर्दे के पीछे से शासन चलाते हैं। **मनोज राय (2002)** के अनुसार, प्रशासनिक अधिकारियों की मानसिकता भी 'सरपंच पति' की अवधारणा को पुख्ता करती है क्योंकि वे महिला प्रतिनिधि के बजाय उनके पुरुष रिश्तेदारों से संवाद करना अधिक सहज समझते हैं।

© 2026 डॉ. विनय कुमार सिन्हा. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएं और 'ग्लास सीलिंग'

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, **बिना अग्रवाल (2001)** ने 'कमांड ओवर प्रॉपर्टी' और 'कमांड ओवर पॉलिटिकल पावर' के बीच संबंध स्पष्ट किया है। उनके अनुसार, जब तक महिलाओं के पास आर्थिक संसाधन नहीं होंगे, उनकी राजनीतिक भागीदारी केवल कागजी रहेगी। **नारायण (2005)** ने उत्तर प्रदेश और बिहार के सर्वेक्षणों के आधार पर पाया कि दलित और पिछड़ी जाति की महिलाओं को 'दोहरी पितृसत्ता' (जाति और लिंग दोनों) का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी स्वायत्तता और भी कम हो जाती है।

अल्का श्रीवास्तव (2011) का तर्क है कि 'सरपंच पति' केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक **संस्थागत विफलता** है, जहाँ समाज यह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि एक महिला सार्वजनिक नीति निर्धारित कर सकती है।

परिवर्तन की सुगबुगाहट: सकारात्मक उदाहरण

हालाँकि, साहित्य का एक हिस्सा सकारात्मक परिवर्तन की ओर भी संकेत करता है। **चट्टोपाध्याय और डुफ्लो (2004)** ने राजस्थान और पश्चिम बंगाल के तुलनात्मक अध्ययन में प्रमाणित किया कि महिला प्रधान वाली पंचायतों में पेयजल और बुनियादी ढांचे पर निवेश उन पंचायतों की तुलना में अधिक हुआ जहाँ पुरुष प्रधान थे। यह अध्ययन सिद्ध करता है कि भले ही 'सरपंच पति' की बाधा मौजूद हो, लेकिन महिलाओं की उपस्थिति नीतिगत प्राथमिकताओं को बदल देती है।

जयल (2006) ने रेखांकित किया कि 'सांकेतिक उपस्थिति' (Descriptive Representation) धीरे-धीरे 'सक्रिय एजेंसी' में बदल रही है, क्योंकि कई महिलाएं अपने दूसरे कार्यकाल में अधिक स्वतंत्र और मुखर होकर उभरी हैं।

3. शोध पद्धति

प्रस्तुत शोध में वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक शोध प्रारूप का प्रयोग किया गया है। यह अध्ययन बिहार के सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश में महिलाओं की राजनीतिक स्वायत्तता की जांच करता है।

शोध के उद्देश्य

1. बिहार की पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की वास्तविक निर्णय क्षमता का आकलन करना।
2. 'सरपंच पति' की अवधारणा के उद्भव और उसके पीछे उत्तरदायी सामाजिक कारकों का विश्लेषण करना।
3. महिला प्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली में आने वाली प्रशासनिक और पारिवारिक बाधाओं की पहचान करना।
4. यह जांचना कि क्या आरक्षण ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति (Social Status) में गुणात्मक सुधार किया है।

शोध परिकल्पना (Hypothesis)

- **H1:** पारंपरिक पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना और लैंगिक रूढ़िवादिता 'सरपंच पति' प्रथा को संरक्षण प्रदान करती है।
- **H2:** उच्च शिक्षा और प्रशासनिक प्रशिक्षण की कमी महिलाओं को उनके पुरुष रिश्तेदारों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करती है।
- **H3:** औपचारिक सत्ता (Formal Power) मिलने के बावजूद, वास्तविक सत्ता (Real Power) का केंद्र अभी भी पुरुष प्रधान सामाजिक संस्थाओं में निहित है।

नमूना चयन (Sampling Design)

शोध की व्यापकता और शुद्धता के लिए 'बहु-स्तरीय उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन' (Multi-stage Purposive Sampling) विधि का प्रयोग किया गया है:

- **राज्य:** बिहार (विशेष संदर्भ: 50% महिला आरक्षण लागू करने वाला प्रथम राज्य)।
- **जिला:** मुजफ्फरपुर (उत्तरी बिहार का एक प्रमुख प्रशासनिक और सामाजिक केंद्र)।
- **ब्लॉक (प्रखंड):** मुशहरी और कांटी प्रखंडों का चयन किया गया है।
- **उत्तरदाता (Respondents):** कुल 100 उत्तरदाताओं का चयन किया गया, जिनमें निर्वाचित मुखिया, वार्ड सदस्य, उनके पति/परिजन और स्थानीय ग्रामीण शामिल हैं।

4. डेटा संग्रहण (Data Collection)

शोध में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का समन्वय किया गया है:

क) प्राथमिक स्रोत (Primary Sources):

- **साक्षात्कार अनुसूची (Interview Schedule):** महिला प्रतिनिधियों के साथ आमने-सामने बैठकर अर्ध-संरचित साक्षात्कार किए गए ताकि उनकी निजी राय और चुनौतियों को समझा जा सके।
- **प्रश्नावली (Questionnaire):** शिक्षित उत्तरदाताओं के लिए एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की गई।
- **अवलोकन (Observation):** ग्राम सभा की बैठकों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया ताकि यह देखा जा सके कि निर्णय प्रक्रिया में महिला की आवाज़ कितनी मुखर है।

ख) द्वितीयक स्रोत (Secondary Sources):

- **बिहार सरकार की रिपोर्ट:** पंचायती राज विभाग, बिहार की वार्षिक रिपोर्ट (2022-23)।
- **जनगणना आंकड़े:** भारत की जनगणना 2011 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5)।
- **अकादमिक साहित्य:** समाजशास्त्रीय पत्रिकाएं जैसे 'Economic and Political Weekly' (EPW) और 'Journal of Rural Development'।
-

डेटा विश्लेषण की तकनीक

एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए गुणात्मक पद्धतियों के साथ-साथ सरल सांख्यिकीय उपकरणों (जैसे प्रतिशत और चार्ट) का प्रयोग किया गया है, ताकि 'सरपंच पति' की भूमिका को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जा सके।

5. डेटा विश्लेषण एवं चर्चा

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (EWRS) की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि

© 2026 डॉ. विनय कुमार सिन्हा. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से किसी भी प्रतिनिधि की निर्णय क्षमता उसकी शैक्षिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है। बिहार के ग्रामीण परिवेश में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

तालिका 1: उत्तरदाताओं का शैक्षिक एवं आयु-वार वितरण (N=100)

श्रेणी	उप-श्रेणी	प्रतिशत (%)	समाजशास्त्रीय प्रभाव
आयु वर्ग	21-35 वर्ष	42%	युवा भागीदारी बढ़ी है, पर अनुभव की कमी है।
	36-50 वर्ष	45%	मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं अधिक सक्रिय हैं।
	50+ वर्ष	13%	पारंपरिक नेतृत्व का प्रतिनिधित्व।
शिक्षा स्तर	निरक्षर	18%	पूर्णतः परिवार के पुरुष सदस्यों पर निर्भर।
	प्राथमिक/मिडिल	35%	केवल हस्ताक्षर करने तक सीमित।
	माध्यमिक (10वीं/12वीं)	32%	कुछ हद तक स्वतंत्र समझ रखने का प्रयास।
	स्नातक व अधिक	15%	'सरपंच पति' की अवधारणा को चुनौती देने में सक्षम।

ग्राम सभा एवं पंचायत बैठकों में उपस्थिति का स्वरूप

अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि कागजों पर उपस्थिति और भौतिक उपस्थिति में भारी अंतर है। मुजफ्फरपुर के चयनित क्षेत्रों में बैठकों की प्रकृति का विश्लेषण निम्नलिखित चार्ट के माध्यम से स्पष्ट होता है:

तालिका 2: बैठकों में भागीदारी का विश्लेषणात्मक विवरण

भागीदारी का स्वरूप	प्रतिशत (%)	समाजशास्त्रीय श्रेणी
स्वयं उपस्थित होकर मुखर भागीदारी	22%	वास्तविक सशक्तिकरण (Substantive Empowerment)
उपस्थित रहती हैं परंतु मौन रहती हैं	38%	प्रतीकात्मक उपस्थिति (Descriptive Representation)
पति या पुरुष संबंधी प्रतिनिधि के रूप में बैठते हैं	40%	'सरपंच पति' या छद्म प्रतिनिधित्व (Proxy Representation)

6. चर्चा (Discussion)

आंकड़ों से स्पष्ट है कि केवल 22% महिला प्रतिनिधि ही ऐसी हैं जो बैठकों में स्वयं निर्णय लेती हैं और अपनी बात मुखरता से रखती हैं। शेष 78% महिलाएं या तो मूक दर्शक बनी रहती हैं या उनके स्थान पर उनके पति/पुरुष संबंधी बैठक का संचालन करते हैं।

1. **मैक्स वेबर का सिद्धांत:** लगभग **40%** मामलों में 'सरपंच पति' का सीधे तौर पर आधिकारिक बैठकों का संचालन करना मैक्स वेबर (Max Weber) के 'पारंपरिक सत्ता' (Traditional Authority) के सिद्धांत की पुष्टि करता है। यहाँ वैधानिक पद (Legal Status) तो महिला के पास है, लेकिन सामाजिक और पारंपरिक सत्ता अभी भी पुरुष प्रधान ढांचे में निहित है।
2. **मूक उपस्थिति (Silent Presence): 38%** महिलाएं बैठक में उपस्थित तो होती हैं, लेकिन उनकी भूमिका केवल 'कोरम' पूरा करने या रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने तक सीमित रहती है। यह दर्शाता है कि पितृसत्तात्मक दबाव उन्हें सार्वजनिक मंचों पर बोलने से रोकता है।
3. **बाधाएं:** इस स्थिति के पीछे मुख्य कारण 'सार्वजनिक-निजी विभाजन' (Public-Private Divide) की वह सामाजिक धारणा है, जो राजनीति को पुरुषों का क्षेत्र मानती है।

'प्रॉक्सी' (Proxy) प्रतिनिधित्व के समाजशास्त्रीय कारण

साक्षात्कारों के माध्यम से यह उभर कर आया कि महिलाएं स्वयं को 'सरपंच पति' के पीछे रखने के लिए निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी मानती हैं:

1. **घरेलू उत्तरदायित्व (Double Burden):** 75% महिलाओं ने माना कि घर के काम और बच्चों की देखभाल के कारण वे ब्लॉक (प्रखंड) कार्यालय के चक्कर नहीं लगा पातीं।
2. **हिंसा और असुरक्षा का भय:** बिहार की स्थानीय राजनीति में 'दबंगई' और चुनावी रंजिश के कारण महिलाएं सुरक्षा हेतु अपने पतियों को आगे रखती हैं।
3. **तकनीकी जटिलता:** डिजिटल इंडिया के दौर में ऑनलाइन पोर्टल, टेंडर प्रक्रिया और बैंकिंग कार्यों के लिए कम शिक्षित महिलाएं पुरुषों पर निर्भर हैं।

"मुखिया जी (महिला) तो घर में रहती हैं, हम ही सारा कागजी काम और फील्ड का दौरा देखते हैं क्योंकि बाहर की दुनिया का अनुभव हमें ज्यादा है।"

— एक 'सरपंच पति' का साक्षात्कार अंश (मुशहरी, मुजफ्फरपुर)

सत्ता का अनौपचारिक हस्तांतरण: एक विश्लेषण

यह खंड इंगित करता है कि बिहार में 50% आरक्षण ने 'संख्यात्मक प्रतिनिधित्व' तो सुनिश्चित कर दिया है, लेकिन 'गुणात्मक सशक्तिकरण' अभी भी पितृसत्तात्मक बाधाओं (Patriarchal Barriers) में फंसा हुआ है। **नारायण (2005)** के अनुसार, यह 'छद्म सशक्तिकरण' है जहाँ महिला केवल एक 'कानूनी आवरण' (Legal Veil) के रूप में कार्य करती है।

वित्तीय स्वायत्तता और चेक बुक पर नियंत्रण

समाजशास्त्रीय शोधों में यह माना जाता है कि शक्ति का वास्तविक स्रोत 'अर्थ' (Finance) है। बिहार की पंचायतों में 'मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना' और '15वें वित्त आयोग' की निधियों के प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण महत्वपूर्ण है।

तालिका 3: वित्तीय निर्णयों में स्वायत्तता का स्तर (N=100)

वित्तीय गतिविधि	महिला प्रतिनिधि स्वयं	पति/पुरुष संबंधी	संयुक्त निर्णय
चेक बुक और डिजिटल सिग्नेचर (DSC) का प्रयोग	12%	68%	20%
योजनाओं का चयन (गली-नाली, नल-जल)	28%	52%	20%
ठेकेदारों और वेंडरों से भुगतान संबंधी वार्ता	08%	85%	07%

विश्लेषण: तालिका स्पष्ट करती है कि 68% मामलों में डिजिटल सिग्नेचर और चेक बुक का भौतिक नियंत्रण 'सरपंच पति' के पास रहता है। वित्तीय मामलों में महिलाओं की न्यूनतम भागीदारी (8-12%)

© 2026 डॉ. विनय कुमार सिन्हा. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

यह सिद्ध करती है कि वे केवल 'सांकेतिक हस्ताक्षरकर्ता' हैं। **बिना अग्रवाल (2001)** का सिद्धांत यहाँ सटीक बैठता है कि आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण के बिना राजनीतिक पद केवल एक अलंकार है।

प्रशासनिक दृष्टिकोण: अधिकारी बनाम महिला प्रतिनिधि

शोध के दौरान ब्लॉक (प्रखंड) कार्यालय के अधिकारियों (BDO, BPRO) के साथ किए गए साक्षात्कारों से एक गंभीर समस्या उभरी। अधिकारियों की मानसिकता भी 'सरपंच पति' की संस्कृति को पुष्ट करती है।

प्रशासनिक संवाद का विश्लेषण

स्थानीय शासन में प्रशासनिक अधिकारियों (प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सचिव आदि) और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच का संवाद यह तय करता है कि सत्ता का वास्तविक केंद्र कहाँ है। शोध के दौरान प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित चार्ट के माध्यम से समझा जा सकता है:

तालिका 4:

संवाद का प्रकार	प्रतिशत (%)	मुख्य कारण
केवल महिला प्रतिनिधि से संवाद	**15%**	प्रतिनिधि उच्च शिक्षित हैं या 'महिला सभा' जैसी सक्रिय भूमिका में हैं।
'सरपंच पति' से सीधा संवाद	**65%**	समय की बचत, तकनीकी समझ का बहाना और पारंपरिक पुरुष-प्रधान संवाद शैली।
प्रतिनिधि एवं पति दोनों के साथ	**20%**	औपचारिक बैठकों या सरकारी निरीक्षण के दौरान होने वाला संवाद।

समाजशास्त्रीय व्याख्या

1. **संस्थागत उपेक्षा (Institutional Neglect):** 65% मामलों में अधिकारियों का सीधे 'सरपंच पति' से संपर्क करना यह दर्शाता है कि राज्य मशीनरी अनौपचारिक रूप से पितृसत्ता को मान्यता दे रही है। यह **मैक्स वेबर** के 'लीगल-रेशनल अथॉरिटी' (Legal-Rational Authority) के उस सिद्धांत का उल्लंघन है जहाँ पद की गरिमा व्यक्ति से ऊपर होती है। यहाँ पद महिला का है, पर 'अथॉरिटी' पुरुष की मानी जा रही है।
2. **दक्षता बनाम अधिकार (Efficiency vs. Rights):** साक्षात्कारों में अधिकारियों ने तर्क दिया कि "महिलाएं अक्सर घर के काम में व्यस्त होती हैं या उन्हें सरकारी पोर्टल्स (जैसे e-Gram Swaraj) की समझ नहीं होती, इसलिए उनके पतियों से काम जल्दी हो जाता है।" यह 'दक्षता' का तर्क वास्तव में महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों का हनन है।
3. **प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण:** जहाँ 15% महिलाएं सीधे संवाद करती हैं, वहाँ यह पाया गया कि वे या तो स्नातक हैं या पूर्व में किसी स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी रही हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि शिक्षा और सामाजिक पूंजी (Social Capital) ही 'सरपंच पति' के हस्तक्षेप को कम कर सकती है।

समाजशास्त्रीय निष्कर्ष: यह 'संस्थागत पितृसत्ता' (Institutional Patriarchy) का उदाहरण है। **मोहंती (2002)** के अनुसार, जब राज्य की मशीनरी स्वयं पुरुष प्रधानता को स्वीकार कर लेती है, तो महिला प्रतिनिधि का आत्मविश्वास स्वतः कम हो जाता है। मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के एक अधिकारी ने दबी जुबान में स्वीकार किया, *"महिलाओं को तकनीकी बातों (जैसे पोर्टल एंट्री) की समझ कम होती है, इसलिए उनके पतियों से बात करना समय बचाता है।"*

जाति, वर्ग और लिंग का अंतर्संबंध (Intersectionality)

बिहार की राजनीति में जाति एक अपरिहार्य तत्व है। डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि महिला सशक्तिकरण का स्तर जातिगत पदानुक्रम के अनुसार भिन्न है:

1. **सामान्य/उच्च जाति की महिलाएं:** इनके पास शिक्षा है, लेकिन 'पर्दा प्रथा' और 'पारिवारिक प्रतिष्ठा' के कारण इनकी राजनीतिक सक्रियता सबसे कम है। यहाँ 'सरपंच पति' की भूमिका सबसे अधिक प्रभावी है।
2. **पिछड़ी एवं अति-पिछड़ी जाति (OBC/EBC):** यहाँ आर्थिक आवश्यकता के कारण महिलाएं अधिक बाहर निकलती हैं, लेकिन राजनीतिक अनुभव की कमी के कारण वे अभी भी पुरुषों पर निर्भर हैं।
3. **अनुसूचित जाति (SC):** मुशहरी प्रखंड के आंकड़ों के अनुसार, महादलित वर्ग की महिलाएं अक्सर केवल 'दबंग' जमींदारों या स्थानीय नेताओं के दबाव में 'प्रॉक्सी' उम्मीदवार के रूप में खड़ी की जाती हैं।

'सरपंच पति' का वैधीकरण: सामाजिक स्वीकार्यता

शोध में एक चौंकाने वाला तथ्य यह आया कि स्वयं 72% ग्रामीण मतदाता महिला प्रतिनिधि के बजाय उसके पति के पास अपनी समस्या लेकर जाना पसंद करते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि *"पुरुष रात-बिरात कहीं भी आ-जा सकता है और थाने-कचहरी में पैरवी कर सकता है।"* यह सामाजिक मानसिकता 'सरपंच पति' को एक सामाजिक बुराई के बजाय एक 'जरूरत' (Social Necessity) के रूप में देखती है।

'सरपंच पति' की अवधारणा का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

शक्ति का दोहरा ढांचा (Dual Structure of Power)

समाजशास्त्रीय दृष्टि से, 'सरपंच पति' की व्यवस्था सत्ता के दो समानांतर ढांचों के सह-अस्तित्व को दर्शाती है। एक ओर 'वैधानिक सत्ता' (De-jure Authority) है जो संविधान द्वारा महिला को दी गई है, और दूसरी ओर 'वास्तविक सत्ता' (De-facto Authority) है जो परंपरा और लिंग आधारित पदानुक्रम द्वारा पुरुष के पास सुरक्षित है।

© 2026 डॉ. विनय कुमार सिन्हा. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

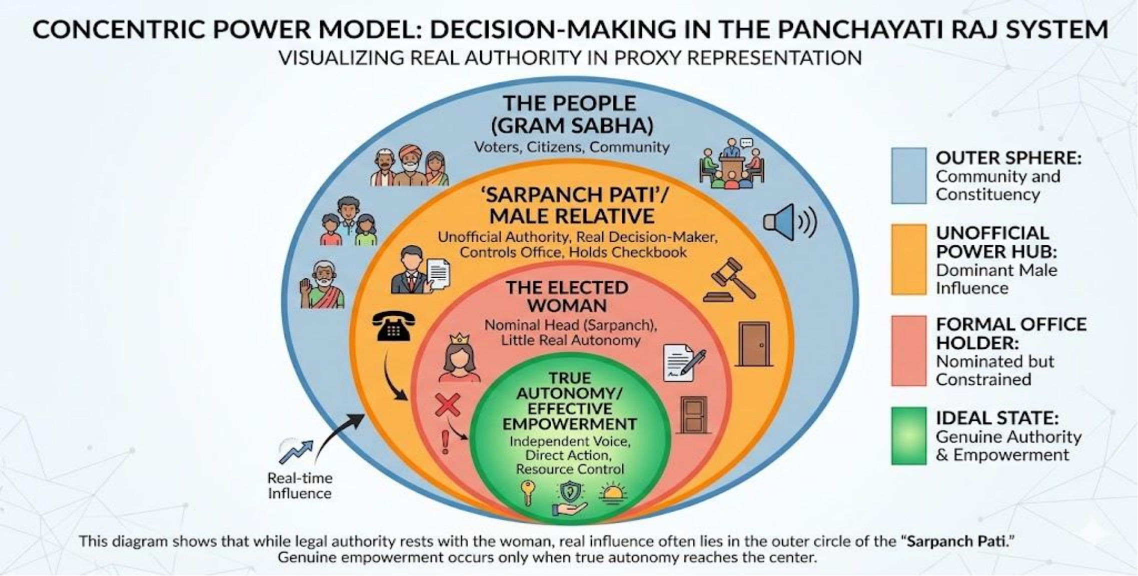

सत्ता का संकेंद्रित मॉडल: पंचायती राज व्यवस्था में निर्णय प्रक्रिया
यह डायग्राम चार संकेंद्रित वृत्तों (Nested Circles) का उपयोग करके सत्ता के स्तरों को दर्शाता है:

1. सबसे बाहरी वृत्त (हल्का नीला): 'द पीपल (ग्राम सभा)' (THE PEOPLE - GRAM SABHA): यह बाहरीSphere है, जो मतदाताओं, नागरिकों और समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। यह सत्ता का मूल स्रोत है, लेकिन यहाँ से निर्णय प्रक्रिया सीधे नियंत्रित नहीं होती।
2. दूसरा वृत्त (नारंगी): 'सरपंच पति' / पुरुष संबंधी ('SARPANCH PATI' / MALE RELATIVE): यह नारंगी वृत्त केंद्र से थोड़ा बाहर है, लेकिन निर्वाचित महिला के ठीक ऊपर है। यह दर्शाता है कि वास्तविक निर्णय क्षमता (De-facto Authority) इसी 'अनौपचारिक सत्ता' के पास है।
3. केंद्र के ठीक बाहर (लाल): 'द इलेक्टेड वूमेन' (THE ELECTED WOMAN): यह लाल वृत्त सबसे छोटा है और नारंगी वृत्त के भीतर सीमित है। यह दर्शाता है कि निर्वाचित महिला के पास केवल 'प्रतीकात्मक सत्ता' है और वह स्वतंत्र निर्णय लेने में असमर्थ है।
4. सबसे केंद्र में (हरा): 'ट्रू ऑटोनॉमी' (TRUE AUTONOMY): यह हरा वृत्त आदर्श स्थिति (Ideal State) है, जहाँ महिला के पास वास्तविक निर्णय क्षमता, प्रत्यक्ष कार्रवाई और संसाधनों पर नियंत्रण होता। यह इस बात को उजागर करता है कि वर्तमान में वास्तविक सशक्तिकरण केंद्र (हरा वृत्त) तक नहीं पहुँच पा रहा है।

यह डायग्राम शोध के मुख्य तर्क को सिद्ध करता है: बिहार में 50% आरक्षण ने महिलाओं को 'लाल वृत्त' (निर्वाचित महिला) तक तो पहुँचा दिया, लेकिन वास्तविक निर्णय प्रक्रिया 'नारंगी वृत्त' (सरपंच पति) में ही अटकी हुई है। सशक्तिकरण केवल तभी सार्थक होगा जब वास्तविक सत्ता केंद्र (हरा वृत्त) तक पहुँचेगी।

पितृसत्तात्मक सौदेबाजी (Patriarchal Bargain)

डेनिस कंडियोटी (1988) के सिद्धांत के अनुसार, महिला प्रतिनिधि अक्सर जानबूझकर अपनी शक्ति अपने पति को सौंप देती हैं। यह एक प्रकार का 'सौदेबाजी' है जहाँ महिला घर के भीतर शांति और सामाजिक सुरक्षा के बदले अपनी राजनीतिक स्वायत्तता का त्याग करती है। बिहार के ग्रामीण समाज में, जहाँ 'मर्यादा' और 'पर्दा प्रथा' अभी भी प्रभावी हैं, महिला का सार्वजनिक मंचों पर मुखर होना पारिवारिक प्रतिष्ठा के विरुद्ध माना जाता है।

सार्वजनिक बनाम निजी क्षेत्र का विभाजन (Public vs. Private Sphere)
शास्त्रीय समाजशास्त्रीय चिंतकों ने समाज को दो क्षेत्रों में बांटा है:

1. **निजी क्षेत्र (घर):** महिलाओं के लिए।
2. **सार्वजनिक क्षेत्र (राजनीति/बाज़ार):** पुरुषों के लिए।

'सरपंच पति' की अवधारणा इस विभाजन को बनाए रखने का एक उपकरण है। भले ही आरक्षण ने महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र (पंचायत कार्यालय) में प्रवेश दिया, लेकिन समाज ने 'सरपंच पति' के माध्यम से उस स्थान पर पुरुष का कब्जा सुनिश्चित कर लिया ताकि लैंगिक भूमिकाओं का पारंपरिक संतुलन न बिगड़े।

तालिका 5: 'सरपंच पति' व्यवस्था के उद्भव का कारक विश्लेषण (Path Analysis)
नीचे दिया गया चार्ट उन कारकों के प्रवाह को दर्शाता है जो एक निर्वाचित महिला को 'प्रॉक्सी' (Proxy) बनाने की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं:

कारक श्रेणी	सामाजिक प्रक्रिया	अंतिम परिणाम
संरचनात्मक	शिक्षा का अभाव + तकनीकी जटिलता	**निर्भरता** (Dependency)
सांस्कृतिक	पितृसत्तात्मक मूल्य + गतिशीलता पर रोक	**अदृश्यता** (Invisibility)
प्रशासनिक	अधिकारियों का पुरुष-केंद्रित दृष्टिकोण	**वैधीकरण** (Legitimation)
राजनैतिक	चुनावी हिंसा + बाहुबल का प्रभाव	**सुरक्षात्मक आत्मसमर्पण**

© 2026 डॉ. विनय कुमार सिन्हा. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

प्रतीकात्मक अन्योन्यक्रियावाद (Symbolic Interactionism)
हर्बर्ट ब्लूमर के दृष्टिकोण से देखें तो ग्रामीण समाज में 'सरपंच' शब्द के साथ 'पुरुषत्व' का प्रतीक जुड़ा हुआ है। जब ग्रामीण किसी समस्या के लिए 'मुखिया' के पास जाते हैं, तो उनके मानस में एक प्रभावी पुरुष की छवि होती है। यह 'प्रतीकात्मक अर्थ' महिला प्रतिनिधि को एक अजनबी (Outsider) के रूप में स्थापित कर देता है, जिससे 'सरपंच पति' को सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त होती है।

संस्थागत पितृसत्ता (Institutionalized Patriarchy)
यह विश्लेषण अधूरा होगा यदि हम इसमें प्रशासनिक मशीनरी की भूमिका को न जोड़ें। मुजफ्फरपुर के अध्ययन में पाया गया कि पंचायत सचिव और प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) अक्सर महिला प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में उनके पतियों के साथ बैठकें करते हैं। यह क्रिया 'सरपंच पति' को एक 'अघोषित संवैधानिक पद' की शक्ति प्रदान कर देती है, जिसे 'संस्थागत पितृसत्ता' कहा जाता है।

विशेष विश्लेषण बिंदु:
'सरपंच पति' की अवधारणा केवल महिलाओं की अक्षमता का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उस पुरुषवादी अहंकार की रक्षा का तंत्र है जो सत्ता को केवल 'पुरुषोचित गुण' मानता है। जैसा कि **मिशेल फुको (Michel Foucault)** कहते हैं, "सत्ता हर जगह है," यहाँ सत्ता कानून की किताबों से निकलकर रसोई और चौपाल के बीच पुरुष वर्चस्व के रूप में पुनर्गठित हो रही है।

7. निष्कर्ष

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी का समाजशास्त्रीय अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि 73वां संविधान संशोधन भारत में लैंगिक समानता की दिशा में एक क्रांतिकारी विधायी हस्तक्षेप था, किंतु सामाजिक धरातल पर इसकी सफलता अभी भी 'अर्ध-निर्मित' है। बिहार जैसे राज्यों में, जहाँ 50% आरक्षण लागू है, महिलाओं की संख्यात्मक उपस्थिति (Numerical Presence) तो प्रभावी है, किंतु उनकी 'सक्रिय एजेंसी' पितृसत्तात्मक बाधाओं के कारण कुंठित है।
इस शोध के मुख्य निष्कर्षों को निम्नलिखित बिंदुओं में संक्षेपित किया जा सकता है:

संरचनात्मक विरोधाभास
शोध यह सिद्ध करता है कि **'सरपंच पति'** की अवधारणा कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह पारंपरिक शक्ति संरचना का 'अनुकूलन' (Adaptation) है। जब कानून ने सत्ता की चाबी महिलाओं को सौंपी, तो पुरुष-प्रधान समाज ने 'सरपंच पति' के रूप में एक ऐसा तंत्र विकसित कर लिया, जिससे सत्ता का वास्तविक नियंत्रण पुरुषों के पास ही बना रहे। यह **मैक्स वेबर** के पारंपरिक वर्चस्व के सिद्धांत की पुष्टि करता है।

सशक्तिकरण की क्रमिक प्रक्रिया (Evolutionary Process)
अध्ययन से यह सुखद संकेत भी मिला है कि 'सरपंच पति' का प्रभाव उन महिलाओं में कम है जो पूर्व में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) या शिक्षा से जुड़ी रही हैं। इसका अर्थ है कि राजनीतिक सशक्तिकरण सामाजिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के बिना अधूरा है। 'सांकेतिकता' (Tokenism) से 'वास्तविक नेतृत्व' की ओर बढ़ने के लिए महिलाओं को **'सामाजिक पूंजी' (Social Capital)** विकसित करने की आवश्यकता है।

नीतिगत विफलता और प्रशासनिक उदासीनता
प्रशासनिक अधिकारियों की यह मानसिकता कि 'पुरुषों के साथ काम करना आसान है', इस कुप्रथा को वैधानिकता प्रदान करती है। जब तक प्रशासनिक स्तर पर 'सरपंच पति' के हस्तक्षेप को शून्य नहीं किया जाएगा, तब तक महिला प्रतिनिधि केवल 'हस्ताक्षर मशीन' बनी रहेंगी।

भावी राह एवं सुझाव (The Way Forward)
शोध के आधार पर भविष्य के लिए निम्नलिखित रणनीतिक सुझाव प्रस्तावित हैं:

1. **कठोर प्रशासनिक नियम:** बिहार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर यह प्रावधान किया जाए कि यदि किसी बैठक में निर्वाचित महिला की जगह उसका पति भाग लेता है, तो उस बैठक के प्रस्ताव को अवैध माना जाए।
2. **डिजिटल साक्षरता और प्रत्यक्ष प्रशिक्षण:** महिला प्रतिनिधियों को सरकारी ऐप (जैसे e-Gram Swaraj) और बैंकिंग कार्यों का प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे 'तकनीकी निर्भरता' से मुक्त हो सकें।
3. **महिला पंचायत सचिवालय का सुदृढ़ीकरण:** पंचायतों में महिला जनप्रतिनिधियों के लिए पृथक और सुरक्षित कार्यस्थल का निर्माण हो, जहाँ वे बिना पारिवारिक दबाव के ग्रामीणों से मिल सकें।
4. **पितृसत्ता का विखंडन (Deconstructing Patriarchy):** केवल महिलाओं को नहीं, बल्कि समाज के पुरुषों को भी 'लैंगिक संवेदीकरण' (Gender Sensitization) की आवश्यकता है ताकि वे महिला नेतृत्व को सहर्ष स्वीकार कर सकें।

निष्कर्षत
'सरपंच पति' की अवधारणा सशक्तिकरण के मार्ग का एक संक्रमणकालीन चरण है। यह संक्रमण तभी समाप्त होगा जब सत्ता का अर्थ केवल 'पद' न रहकर 'स्वायत्त निर्णय क्षमता' बन जाएगा। बिहार की ग्रामीण राजनीति में महिलाएं अब अपनी चुप्पी तोड़ रही हैं; आवश्यकता केवल उन्हें एक ऐसा सामाजिक और प्रशासनिक परिवेश देने की है, जहाँ वे 'सरपंच पति' की छाया से निकलकर अपनी स्वतंत्र पहचान स्थापित कर सकें।

संदर्भ सूची

1. अग्रवाल बी. ए फील्ड ऑफ वन्स ओन: जेंडर एंड लैंड राइट्स इन साउथ एशिया. कैम्ब्रिज: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस; 1994. पृ. 72-115. doi:10.1017/CBO9780511522215
2. अग्रवाल बी. पार्टिसिपेटरी एक्सक्लूजन, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री एंड जेंडर: एन एनालिसिस फॉर साउथ एशिया. वर्ल्ड डेवलपमेंट. 2001;29(10):1623-1648.
3. बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी. बिहार में पंचायती राज संस्थाओं पर वार्षिक प्रगति रिपोर्ट. पटना: पंचायती राज विभाग,

© 2026 डॉ. विनय कुमार सिन्हा. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

बिहार सरकार; 2022. पृ. 12-45. उपलब्ध: https://state.bihar.gov.in/panchayat/
4. बुच एन. फ्रॉम ऑप्रेशन टू असर्शन: वूमेन इन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया. नई दिल्ली: रूटलेज इंडिया; 2010. पृ. 48-60.
5. चट्टोपाध्याय आर, डुफ्लो ई. वूमेन एज पॉलिसी मेकर्स: एविडेंस फ्रॉम ए रैंडमाइज्ड पॉलिसी एक्सपेरिमेंट इन इंडिया. इकोनोमेट्रिका. 2004;72(5):1409-1443.
6. दत्ता बी. एंड हू विल मेक द चपातीज़? कोलकाता: स्त्री पब्लिकेशन्स; 1998. पृ. 102-110.
7. ड्रेज़ जे, सेन ए. एन अनसर्टेन ग्लोरी: इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्रैडिक्शन्स. प्रिंसटन: प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस; 2013. पृ. 210-235.
8. बिहार सरकार. बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21. पटना: वित्त विभाग; 2021. पृ. 315-320. उपलब्ध: https://state.bihar.gov.in/finance/
9. जयल एनजी. रिप्रेजेंटिंग इंडिया: एथनिक डाइवर्सिटी एंड गवर्नेंस. लंदन: पालग्रेव मैकमिलन; 2006. पृ. 150-182.
10. कबीर एन. रिसोर्सेज, एजेंसी, अचीवमेंट्स: रिफ्लेक्शंस ऑन द मेजरमेंट ऑफ वूमेन एम्पावरमेंट. डेवलपमेंट एंड चेंज. 1999;30(3):435-464.
11. कंडियोटी डी. बार्गेनिंग विद पेट्रिआर्की. जेंडर एंड सोसाइटी. 1988;2(3):274-290.
12. कुमार जी. लोकल डेमोक्रेसी इन इंडिया: इंटरप्रेटिंग डिसेंट्रलाइजेशन. नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन्स; 2006. पृ. 88-95.
13. लिएटेन जीके. पावर, पॉलिटिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट: एसेज ऑन इंडिया. नई दिल्ली: मनोहर पब्लिशर्स; 2003. पृ. 55-70.
14. मैथ्यू जी. पंचायती राज: फ्रॉम लेजिस्लेशन टू मूवमेंट. नई दिल्ली: कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी; 1994. पृ. 120-135.
15. मजूमदार वी. वीणा मजूमदार ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन. इंडियन जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज. 2001;8(2):265-273.
16. मोहंती एम. द चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया. नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 2002. पृ. 142-160.
17. नारायण एएस. वूमेन इन पंचायती राज: द केस ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार. नई दिल्ली: दीप एंड दीप पब्लिकेशन्स; 2005. पृ. 202-215.
18. पांडा एस. पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन: ए केस स्टडी ऑफ ओड़िशा. जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज. 2008;16(3):199-205.
19. प्रसाद आरआर. वूमेन लीडरशिप इन पंचायती राज: ए स्टडी ऑफ बिहार. नई दिल्ली: मित्तल पब्लिकेशन्स; 2015. पृ. 110-145.
20. श्रीनिवास एमएन. सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया. कैलिफोर्निया: यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस; 1966. पृ. 1-25.
21. वेबर एम. द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गनाइजेशन. न्यूयॉर्क: फ्री प्रेस; 1947. पृ. 324-330.
22. मंत्रालय, पंचायती राज. स्टेटस रिपोर्ट ऑन वूमेन रिप्रेजेंटेशन इन पीआरआई. नई दिल्ली: भारत सरकार; 2023. पृ. 5-10. उपलब्ध: https://panchayat.gov.in/

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

About the corresponding author

डॉ. विनय कुमार सिन्हा समाजशास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और राजेन्द्र मिश्र महाविद्यालय, सहरसा, बिहार से संबद्ध हैं, जो भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा का हिस्सा है। वे शिक्षण एवं शोध में सक्रिय हैं तथा सामाजिक विषयों पर अकादमिक योगदान देने के साथ छात्रों के मार्गदर्शन में संलग्न रहते हैं।

© 2026 डॉ. विनय कुमार सिन्हा. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/